24

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
आदेश

सरकार के प्रधान सचिव, निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1552 दिनांक- 08/04/2016 से प्राप्त निदेश के आलोक में कहना है किं राज्य में पूर्ण नशाबंदी धोषित होने के बाद यह आशंका की जा रही है कि जल मार्ग से अबैध शराब एवं नशीली बस्तुओं का परिचालन हो सकता है। ऐसी स्थिति में बंगाल नौ- धाट अधिनियम,1885 के अधीन आदर्श नियमावली,2011 की धारा-9 (ज) के तहत् Ferry अथवा नाव का परिचालन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच सुनिश्चित किया जाना है। आपात स्थिति में रात्रि उपयोग के लिए नाव सर्वेक्षक द्वारा अनुमोदित विशेष प्रकाश व्यवस्था युक्त नाव का उपयोग पुर्वानुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

अतः सभी अंचल अधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि सामान्य परिस्थिति में वे सुर्यास्त के बाद सरकारी एवं निजी नावों का परिचालन नहीं हो, इस सम्बंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें तथा उल्लंधन करनेवाले के विरुद्ध बंगाल नौ-धाट अधिनियम,1880 एवं भारतीय दंड संहिता में विहित शक्तियों एवं न्यायिक प्रक्रिया के तहत् करना सुनिश्चित करेगें। मात्र आपदा की स्थिति में अंचलाधिकारी से पुर्वानुमति प्राप्त कर नाव का परिचालन किया जा सकता है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू है।

इसकी सूचना सभी सम्बंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 632 /सा0, मधेपुरा दिनांक- 11 अप्रेल,2016

प्रतिलिपि- सभी अंचल अधिकारी/मोटरयान निरीक्षक,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला परिवहन पदाधिकारी,मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/उत्पाद अधीक्षक,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि इस पत्र को सभी सम्बंधितों को ईमेल कर दी जाय।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा को सूचनार्थ। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्ष,मधेपुरा जिला को आवश्यक निदेश देने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सरकार के प्रधान सचिव, निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना एवं आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सादर सूचनार्थ।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।